न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4744/2006/हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम

अब्दुल सत्तार पुत्र सदू खां जाति बावरी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

.....प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा , सदस्य

उपस्थित :–

श्री एस.पी.औझा, विद्वान राजकीय अधिवक्ता

रेस्पोडेंट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय **दिनांक– 30.10.2025**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपील सं. 134/03 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद बाबत् इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 के.आर.पी. के मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 23 की 0.253 हैक्टयर भूमि वादी के कब्जेकाश्त में संवत् 2011 से चली आ रही है तथा उक्त आराजी वादी के पिता ने वादी को पारिवारिक समझौते की तहत दी है, किंतु भू प्रबंध विभाग ने वादी की खातेदारी की आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी उसे बेदखल करने पर

आमदा है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद दिनांक 21–2–03 से स्वीकार कर डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील अपने निर्णय दिनांक 26–12–05 से मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वादी रेस्पोडेंट ने कथन किया था कि संवत् 2011 से पूर्व वादी के पिता का कब्जाकाश्त चला आ रहा है किंतु उसके द्वारा अपने कब्जेकाश्त को सिद्ध करने हेतु कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। महज मौखिक साक्ष्य को आधार मानकर विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया है। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सिवाय चक दर्ज चली आ रही है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत उसे खातेदारी अधिकार तब ही प्रदान किये जा सकते है जब वह अपने आपको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय टिनेन्ट साबित करता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट वादी अपने आपको टिनेंट सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा। इस कारण उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर आदेश 14 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकियां कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर दावा निर्णित करना चाहिये। किंतु विचारण न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बिना रेस्पोंडेंट वादी का वाद विधि विरूद्ध डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को गुणावगुण पर निस्तारण नहीं कर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाये।

4– रेस्पोडेंट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

5– राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी के संबंध में प्रस्तुत वाद बाबत् इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी भादरा ने निर्णय दिनांक 21—2—03 से स्वीकार कर डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील अपने निर्णय दिनांक 26—12—05 से मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

7— अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत गोविन्दसिंह बनाम रामविलास डीएनजे (आरजे) 2014 (राजस्थान उच्च न्यायालय) में प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए।

1—अपील गुणावगुण पर निर्णय योग्य एवं किसी पक्षकार को सारगर्भित राहत देने योग्य हो।

2—दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण हो तथा समुचित कारण हो। अपीलांट की लापरवाही तथा कानून के प्रति उपेक्षा का भाव न हो।

3—जहाँ सारभूत न्याय तथा तकनीकी आधार में टकराहट हो, सारभूत न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

4—किसी पक्षकार के साथ हुए अन्याय का निराकरण होना संभावित हो।

5—कोई पक्षकार न्यायिक प्रक्रिया से किसी अन्य पक्षकार को उलझाये रखने का मकसद न रखता हो।

मियाद कानून लोकनीति का पूरक है। इसका उद्देश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इसी क्रम में एलसीडी पेज 87 (1985) उच्चतम न्यायालय का निर्णय अशरफ वगैरा बनाम जयपाल सिंह आदि में मियाद के संबंध में अभिलिखित किया गया है किः— We may point out that having

regard to the social and economic conditions prevalent in the country and particularly in the rural areas and the large scale poverty and illiteracy, which is rampant in the country, as a result of which most people do not know what are their rights and obligations, the applications for condonation of delay should be considered liberally by the courts.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाता है और हम अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित मानते हैं।

8—वादी रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी का खातेदार घोषित करवाने हेतु मुख्य आधार यह लिया कि विवादित आराजी संवत् 2011 से उसके पिता एवं बाद में उसके कब्जेकाश्त में चली आ रही है तथा भू प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया। किंतु विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी के अवलोकन से यह तथ्य साबित नहीं होता कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2011 में उसके पिता के नाम दर्ज रहीं हो। विवादित आराजी 2 केआरपी की जमाबंदी संवत् 2011 की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड में एक भी दस्तावेज वादी रेस्पोडेंट के पक्ष में नहीं है जिससे उसका अथवा उसके पिता का विवादित आराजी पर संवत् 2011 से कब्जाकाश्त साबित हो। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट ने जवाबदावा प्रस्तुत किया था किंतु विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर बिना तनकीयात कायम किये वादी का वाद साक्ष्य/अभिलेख से परे डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये मियाद के बिन्दु पर ही प्रथम अपील खारिज कर दी। जबकि मियाद के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादति किये है कि यदि किसी निर्णय को पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा अनियमितता बरती गई हो तो वहां मियाद आडे नहीं आती और उसे कंडोन कर गुणावगुण पर अपील का निस्तारण करना चाहिये। वादी अपना वाद अभिलेखीय साक्ष्य से सिद्ध करने में असफल रहा है जबकि विचारण न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभिलेखीय साक्ष्यों को दरकिनार करते हुये वादी

का वाद विधि विरूद्ध डिक्री किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी प्रथम अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज किया है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय मौखिक साक्ष्य पर आधारित एवं अविधिक होने से से अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आज्ञापक था। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी भादरा के निर्णय की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने भी उक्त विधिक बिन्दु पर ध्यान न देते हुए अपने निर्णय दिनांक 26–12–2005 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में त्रुटि कारित की है। अतः योग्य विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी भादरा का आक्षेपित निर्णय व डिक्री 21–2–03 एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 26–12–05 अपास्त किए जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी भादरा का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–2–03 एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 26–12–05 अपास्त किए जाते हैं तथा विवादित आराजी चक 2 के.आर.पी. के मुरब्बा नंबर 45 के किला नंबर 23 की 0.253 हैक्टयर को पुनः राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे एवं पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष